रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12082026-275408
CG-DL-E-12082026-275408

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 493] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 11, 2026/श्रावण 20, 1948
No. 493] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 11, 2026/SHRAVAN 20, 1948

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

(नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2026

सं. आर.11061/05/2026-ईएमआरबी-पंजी.—राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) की धारा 57 की उपधारा (2) के खंड (जेडजे), (जेडके) एवं (जेडएल) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग एतद्वारा “मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का पंजीकरण और चिकित्सा की प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस विनियम, 2023” में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित **मसौदा विनियम** बनाता है, अर्थात्:—

1. (i) इन विनियमों को “मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का पंजीकरण और चिकित्सा की प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस (संशोधन), विनियम 2026" कहा जाएगा।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का पंजीकरण और चिकित्सा की प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस विनियम, 2023 में

i. विनियम 2 के खंड (क) में

क) - “**अतिरिक्त योग्यताएं**” ऐसी योग्यताएं हैं जो एनएमसी अधिनियम 2019 के अध्याय VI के तहत विधिवत मान्यता प्राप्त प्राथमिक चिकित्सा योग्यताओं के अलावा हैं और जिन्हें स्नातकोत्तर चिकित्सा विनियमों के अनुसार पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा प्राप्त की गई है।

निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

(क) - “**अतिरिक्त योग्यताएं**” ऐसी योग्यताएं हैं जो एनएमसी अधिनियम 2019 के अध्याय VI के तहत विधिवत मान्यता प्राप्त प्राथमिक चिकित्सा योग्यताओं के अलावा हैं और जिन्हें स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमों के अनुसार पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा प्राप्त की गई है।

ii. विनियम 2 के खंड (ख) में

(ख) "**विदेशी चिकित्सा स्नातक**" ऐसा भारतीय नागरिक होगा, जिसके पास राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा प्राथमिक चिकित्सा योग्यता के रूप में वर्तमान में मान्यता प्राप्त आधुनिक/एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति की प्रैक्टिस करने के लिए विदेश में स्थित किसी एक विश्वविद्यालय/संस्थान से विधिवत योग्यता है परंतु किसी भारतीय विश्वविद्यालय या भारतीय मेडिकल कॉलेज या भारतीय संस्थान से प्राथमिक चिकित्सा योग्यता (स्नातक चिकित्सा डिग्री) नहीं है।

निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

(ख) "**विदेशी चिकित्सा स्नातक (एफएमजी)**" ऐसा भारतीय नागरिक/भारत का प्रवासी नागरिक (ओसीआई) होगा, जिसने आधुनिक/एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में प्रैक्टिस करने के लिए विधिवत योग्यता प्राप्त की है लेकिन उनके पास किसी भारतीय विश्वविद्यालय या भारतीय मेडिकल कॉलेज या भारतीय संस्थान से प्राथमिक चिकित्सा योग्यता (स्नातक चिकित्सा डिग्री) नहीं है।

ii. विनियम 2 में खंड (ग) के बाद खंड (गग) जोड़ा जाएगा

(गग) राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर (एनएमआर) एनएमसी अधिनियम, 2019 की धारा 31 में निर्दिष्ट ईएमआरबी द्वारा अनुरक्षित मेडिकल प्रैक्टिशनर का एक राष्ट्रीय रजिस्टर होगा जिसमें राज्य चिकित्सा परिषदों द्वारा अनुरक्षित राज्य चिकित्सा रजिस्टर (एसएमआर) के तहत पंजीकृत प्रत्येक मेडिकल प्रैक्टिशनर को एक विशिष्ट पहचान (यूआईडी) संख्या आवंटित की जाएगी। एनएमआर संख्या इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार पूरे भारत में मेडिकल प्रैक्टिस के लिए मान्य होगा।

iv. विनियम 2 में खंड (च) के बाद खंड (छ) जोड़ा जाएगा

(छ) "व्यक्ति" से अभिप्राय ऐसे भारतीय नागरिक, अथवा भारत का प्रवासी नागरिक (ओसीआई), या भारत में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत या प्रायोजित किसी विदेशी नागरिक से है, जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 तथा उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार भारत में मान्यता प्राप्त प्राथमिक चिकित्सा योग्यता प्राप्त करता हो।

v. विनियम 3 के खंड (ii) में

(ii) ऐसे किसी व्यक्ति को भी संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा इंटर्नशिप करने के लिए अनंतिम पंजीकरण प्रदान किया जा सकता है जो कोई विदेशी चिकित्सा योग्यता प्राप्त करता है और अधिनियम की धारा 15 के तहत आयोजित राष्ट्रीय निकास परीक्षा (एनईएक्सटी) उत्तीर्ण करता है, और विदेशी चिकित्सा स्नातक विनियम, 2021 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है।

निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

(ii) कोई भी एफएमजी जिसने विदेशी चिकित्सा योग्यता प्राप्त करता है और विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा (एफएमजीई) या अधिनियम की धारा 15 के तहत आयोजित राष्ट्रीय निकास परीक्षा (एनईएक्सटी) उत्तीर्ण करता है और विदेशी चिकित्सा स्नातक लाइसेंसिएट विनियम, 2021 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने पर उसे संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा इंटर्नशिप करने के लिए अनंतिम पंजीकरण (provisional registration) भी दिया जा सकता है।

vi. विनियम 4 के खंड (ii) में

खंड (ii) - विदेशी चिकित्सा स्नातक विनियम, 2021 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अधीन, ऐसा व्यक्ति भी एनएमआर में पंजीकरण के लिए पात्र होगा जो कोई विदेशी चिकित्सा योग्यता प्राप्त करता है और अधिनियम की धारा 15 के तहत आयोजित राष्ट्रीय निकास परीक्षा उत्तीर्ण करता है।

निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

(ii) कोई भी एफएमजी जो विदेशी चिकित्सा योग्यता प्राप्त करता है और विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा (एफएमजीई) या अधिनियम की धारा 15 के तहत आयोजित राष्ट्रीय निकास परीक्षा (एनईएक्सटी) उत्तीर्ण की हो वह विदेशी चिकित्सा स्नातक लाइसेंसिएट विनियम, 2021 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने पर, एनएमआर में पंजीकरण के लिए पात्र होगा।

vii. विनियम 4 के खंड (iii) में

(iii) विशिष्ट पहचान (यूआईडी) संख्या का सृजन: नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड (ईएमआरबी), राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा केंद्रीय रूप से एक यूआईडी का सृजन किया जाएगा और इस प्रकार प्रैक्टिशनर को एनएमआर में पंजीकरण और भारत में चिकित्सा की प्रैक्टिस करने की पात्रता प्रदान की जाएगी।

निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

(iii) विशिष्ट पहचान (यूआईडी) संख्या का सृजन: जब कोई व्यक्ति/एफएमजी संबंधित राज्य चिकित्सा रजिस्टर में पंजीकृत हो जाता है, नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड (ईएमआरबी), राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा केंद्रीय स्तर पर एक यूआईडी संख्या सृजित की जाएगी; इस प्रकार प्रैक्टिशनर को एनएमआर में पंजीकरण और भारत में कहीं भी चिकित्सा की प्रैक्टिस करने की पात्रता प्रदान की जाएगी।

viii. विनियम 4 के खंड (iv) में

(iv) यूआईडी के सृजन के लिए प्रसंस्करण शुल्क (ईएमआरबी, एनएमसी द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित) सचिव, एनएमसी के पक्ष में देय होगा।

निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

(iv) ईएमआरबी यह सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टर का इलेक्ट्रॉनिक समकालीकरण (सिंक्रोनाइजेशन) इस प्रकार किया जाए कि किसी एक रजिस्टर में किया गया कोई भी परिवर्तन स्वतः ही दूसरे रजिस्टर में प्रतिबिंबित हो जाए।

ix. विनियम 5 के खंड (ii) में उपखंड (ट) तथा (ठ) को जोड़ा जाएगा

(ट) चिकित्सा की प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस की सक्रिय/निष्क्रिय स्थिति।

(ठ) आरएमपी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण, यदि कोई हो।

x. विनियम 5 में खंड (ii) के बाद खंड (iii) तथा (iv) जोड़ा जाएगा

(iii) राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर, पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के पंजीकरण विवरण और किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही, निलंबन, हटाने, बहाली के आदेश या किसी भी ऐसे आदेश जो राज्य चिकित्सा परिषद, नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड, या राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा जारी किया गया है, केंद्रीय अभिलेखागार (रिपॉज़िटरी) के रूप में कार्य करेगा।

(iv) नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग को पूरे भारत में मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की एकरूपता, पारदर्शिता और प्रभावी विनियम को बनाए रखने के लिए राज्य चिकित्सा परिषदों द्वारा नियमों के पालन की निगरानी के लिए निर्देश जारी करना, जानकारी मांगना, रिकॉर्ड मांगना, की शक्ति होगी।

xi. विनियम 6 में

6. चिकित्सा की प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस प्रदान करना:

चिकित्सा की प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया:

क) लाइसेंस प्राप्त करने के उद्देश्य से, कोई व्यक्ति नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड के वेब पोर्टल के माध्यम से ऐसे विवरण के साथ आवेदन कर सकता है जो इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में निर्दिष्ट किए गए हैं।

ख) पात्र व्यक्ति चिकित्सा की प्रैक्टिस करने के लिए किसी भी राज्य/राज्यों को चुन सकता है और वेब पोर्टल के माध्यम से किए गए आवेदन संबंधित राज्य/राज्य चिकित्सा परिषद के पास भेजा जाएगा।

ग) राज्य चिकित्सा परिषद स्वयं को संतुष्ट करेगी और 30 दिनों की अवधि के भीतर उचित शुल्क लेने के बाद उस राज्य में की प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस देने के आवेदन पर विचार करेगी।

घ) लाइसेंस के प्रमाण पत्र में एक पंजीकरण संख्या शामिल होगी जो इस तरह से बनाई जाएगी कि संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कोड के साथ एक विशिष्ट पहचान संख्या जोड़ी जाएगी।

ङ) राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा आवेदन के अनुमोदन पर, इसे राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर और राज्य चिकित्सा रजिस्टर में भी दर्शाया जाएगा।

निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

6. चिकित्सा की प्रैक्टिस करने के लिए पंजीकरण और लाइसेंस प्रदान करना:

चिकित्सा की प्रैक्टिस करने के लिए पंजीकरण और लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया:

क) चिकित्सा की प्रैक्टिस करने के लिए पंजीकरण और लाइसेंस प्राप्त करने के उद्देश्य से, कोई व्यक्ति/एफएमजी, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड के एकीकृत पंजीकरण पोर्टल के माध्यम से संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद में आवेदन कर सकता है जो इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में निर्दिष्ट किए गए हैं।

ख) हटा दिया गया

ग) संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद स्वयं को संतुष्ट करेगी और 30 दिनों की अवधि के भीतर उचित शुल्क लेने के बाद चिकित्सा की प्रैक्टिस करने के लिए पंजीकरण और लाइसेंस देने के आवेदन पर विचार करेगी।

घ) हटा दिया गया

ङ) राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा आवेदन के अनुमोदन पर इसे राज्य चिकित्सा रजिस्टर और राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर में दर्शाया जाएगा। एनएमआर का विशिष्ट पहचान (यूआईडी) संख्या इस तरह से बनाया जाएगा कि संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का कोड और आवंटित एसएमआर संख्या निर्दिष्ट विशिष्ट पहचान (यूआईडी) संख्या में अंतर्निहित होगी।

च) एसएमसी द्वारा चिकित्सा की प्रैक्टिस करने के लिए पंजीकरण और लाइसेंस प्रदान करने और ईएमआरबी द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर में विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) के आवंटन पर; मेडिकल प्रैक्टिशनर भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चिकित्सा की प्रैक्टिस करने के लिए पात्र हो जाएगा; उसे किसी दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रैक्टिस करने के नए पंजीकरण और लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।

xii. विनियम 7 के खंड (i) में

(i) जब भी एक पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 के तहत मान्यता प्राप्त अतिरिक्त चिकित्सा योग्यता प्राप्त करेगा, राज्य रजिस्टर/राष्ट्रीय रजिस्टर में अपने नाम के सामने अतिरिक्त चिकित्सा योग्यता दर्ज करने के लिए संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद के पास आवेदन करेगा।

निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

(i) जब भी कोई पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 के तहत मान्यता प्राप्त अतिरिक्त चिकित्सा योग्यता प्राप्त करता है, तो वह संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद, जहां वह मुख्य रूप से पंजीकृत है, नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड के एकीकृत पंजीकरण पोर्टल के माध्यम से, राज्य रजिस्टर में अपने नाम के सामने अतिरिक्त चिकित्सा योग्यता दर्ज करने के लिए, आवेदन करेगा ।

xiii. विनियम 7 के खंड (vi) में

(vi) जब तक राष्ट्रीय रजिस्टर लागू नहीं होता है, अतिरिक्त योग्यता के पंजीकरण की मौजूदा प्रणाली जारी रहेगी।

निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

(vi) जब तक राष्ट्रीय रजिस्टर पूरी तरह से लागू नहीं हो जाता, तब तक अतिरिक्त योग्यता के पंजीकरण की मौजूदा प्रणाली जारी रहेगी।

xiv. विनियम 8 के खंड (i) में

(i) चिकित्सा की प्रैक्टिस करने के लिए पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर को जारी किया गया लाइसेंस पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, जिसके बाद मेडिकल प्रैक्टिशनर को इन विनियमों के खंड 6 (ii) के तहत निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार राज्य चिकित्सा परिषद के पास आवेदन करके लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होगा।

निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

(i) किसी पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर को चिकित्सा की प्रैक्टिस करने के लिए जारी किया गया लाइसेंस पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, जिसके बाद मेडिकल प्रैक्टिशनर को इन विनियमों के खंड 6(क) के तहत निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद में आवेदन करके लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होगा।

xv. विनियम 8 के खंड (iii) में

(iii) परंतु यह कि यदि लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के तीन महीने के भीतर कोई आवेदन प्राप्त नहीं होगा, तो राज्य रजिस्टर में मेडिकल प्रैक्टिशनर के नाम की प्रविष्टि निष्क्रिय के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा और वह व्यक्ति चिकित्सा की प्रैक्टिस करने का हकदार नहीं होगा। राज्य रजिस्टर में किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के नाम के सामने स्थिति - 'निष्क्रिय' की प्रविष्टि राष्ट्रीय रजिस्टर में स्वयमेव प्रतिबिंबित होगी।

निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

(iii) परंतु यह कि यदि लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के तीन महीने के भीतर कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो राज्य रजिस्टर में मेडिकल प्रैक्टिशनर के नाम की प्रविष्टि निष्क्रिय के रूप में परिवर्तित हो जाएगी और व्यक्ति चिकित्सा की प्रैक्टिस करने का हकदार नहीं होगा। राज्य रजिस्टर में ऐसे मेडिकल प्रैक्टिशनर के नाम के सामने 'निष्क्रिय' स्थिति की प्रविष्टि राष्ट्रीय रजिस्टर में स्वतः प्रतिबिंबित हो जाएगी।

xvi. विनियम 9 को हटा दिया जाएगा और 9क को जोड़ा जाएगा:

9क. कथित पेशेवर कदाचार या चिकित्सा लापरवाही के मामलों में अधिकार क्षेत्र

(1) इन विनियमों में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, जहां किसी पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर के खिलाफ पेशेवर कदाचार, अनैतिक आचरण या चिकित्सीय लापरवाही का आरोप लगाया जाता है, वहां राज्य चिकित्सा परिषद जिसके क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र में, कार्रवाई का मामला हुआ है, उसे इस मामले की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार होगा। संबंधित एसएमसी को निर्णय को लागू करने और ऑनलाइन रजिस्टर में आरएमपी के क्रेडेंशियल्स में इसे दर्ज करने का अधिकार होगा।

(2) जांच, अनुशासनात्मक कार्यवाही, अपील और उससे जुड़े सभी मामलों की प्रक्रिया, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत बनाए गए संबंधित विनियमों द्वारा विनियमित होगी।

xvii. विनियम 10 के खंड (i) में

(i) यदि किसी पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर का नाम राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के तहत स्थायी या अस्थायी रूप से राज्य रजिस्टर से हटाया जाता है, तो संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद राज्य रजिस्टर में संबंधित मेडिकल प्रैक्टिशनर के नाम के सामने इस आशय की प्रविष्टि करेगी।

निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा

(i) यदि किसी पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर का नाम राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के तहत स्थायी या अस्थायी रूप से राज्य रजिस्टर से हटा दिया जाता है, तो प्राथमिक पंजीकरण वाली राज्य चिकित्सा परिषद, संबंधित मेडिकल प्रैक्टिशनर के नाम के सामने राज्य रजिस्टर में इस आशय की प्रविष्टि करेगी।

xviii. विनियम 10 के खण्ड (ii) में

(ii) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के तहत राज्य रजिस्टर में किसी पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर के नाम की बहाली पर, राज्य चिकित्सा परिषद, राज्य रजिस्टर में संबंधित मेडिकल प्रैक्टिशनर के नाम के सामने इस आशय की प्रविष्टि करेगी।

निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा

(ii) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के तहत राज्य रजिस्टर में किसी पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर के नाम की बहाली पर, प्राथमिक पंजीकरण की राज्य चिकित्सा परिषद, राज्य रजिस्टर में संबंधित मेडिकल प्रैक्टिशनर के नाम के सामने इस आशय की प्रविष्टि करेगी।

xix. विनियम 10 में खंड (iii) के बाद खंड (iv) जोड़ा जाएगा

(iv) जहां प्राथमिक पंजीकरण वाले राज्य चिकित्सा परिषद के अलावा किसी अन्य एसएमसी द्वारा उचित जांच के बाद किसी कार्रवाई की सिफारिश की जाती है; जिसमें पेशेवर कदाचार, अनैतिक आचरण या चिकित्सीय लापरवाही हुई हो; वहाँ इसे राष्ट्रीय रजिस्टर में भी दिखाया जाएगा और साथ ही प्राथमिक पंजीकरण वाले एसएमसी के एसएमआर में भी स्वतः अद्यतन हो जाएगा।

(xx) विनियम 11

अस्थायी प्रावधान

भारतीय चिकित्सा रजिस्टर या राज्य चिकित्सा रजिस्टर में नामांकित सभी मौजूदा मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिनके पास इन विनियमों के अनुसार पंजीकरण संख्या नहीं है, एकबारगी उपाय के रूप में इन विनियमों के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड के वेब पोर्टल में लाइसेंस को अद्यतन करेंगे और पंजीकरण संख्या प्राप्त करेंगे और इस प्रकार सृजित लाइसेंस जारी होने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए वैध होगा। ऐसे मेडिकल प्रैक्टिशनर के लाइसेंस को अद्यतन करने के प्रयोजन के लिए, ईएमआरबी, एनएमसी द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा

अस्थायी प्रावधान

भारतीय चिकित्सा रजिस्टर या राज्य चिकित्सा रजिस्टर में नामांकित सभी मौजूदा मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिनके पास इन विनियमों के अनुसार एनएमआर की विशिष्ट पहचान (यूआईडी) संख्या नहीं है, उन्हें नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड द्वारा तय समय-सीमा के भीतर बोर्ड के वेब पोर्टल पर अद्यतन करना होगा, जैसा कि नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड द्वारा तय किया गया है और एक बार के उपाय के रूप में विशिष्ट पहचान (यूआईडी) संख्या प्राप्त करेंगे। ऐसे मेडिकल प्रैक्टिशनर के विशिष्ट पहचान (यूआईडी) संख्या को अद्यतन करने के लिए, ईएमआरबी, एनएमसी द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

xxi. विनियम 12 के खंड (i), (ii) एवं (iii)

12. प्रैक्टिस करने के लाइसेंस से इनकार

i यदि राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा प्रैक्टिस करने/नवीनीकरण के लिए लाइसेंस प्रदान करने के आवेदन को किसी भी आधार पर अस्वीकार किया जाता है, तो संबंधित आवेदक इस तरह के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर राज्य चिकित्सा परिषद के निर्णय के खिलाफ नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड के पास अपील दाखिल कर सकता है।

ii ऐसी अपील निम्नलिखित के साथ सचिव, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग को प्रस्तुत की जा सकती है:

क. राज्य चिकित्सा परिषद को प्रस्तुत मूल आवेदन।

ख. यदि आवेदन की अस्वीकृति के लिए राज्य चिकित्सा परिषद से आदेश/संचार प्राप्त हुआ है तो उसकी प्रतिलिपि।

ग. अस्वीकृति के आधारों का विरोध करने वाला एक लिखित आवेदन।

घ. सचिव, एनएमसी के पक्ष में देय प्रसंस्करण शुल्क (ईएमआरबी, एनएमसी द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित)।

iii. नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड अपील की जांच करेगा और तीस दिन के भीतर निर्णय लेगा। यदि नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड द्वारा अपील स्वीकार की जाती है, तो इसके द्वारा यह आदेश पारित किया जा सकता है कि राज्य चिकित्सा परिषद आवेदक को प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस प्रदान करे और ईएमआरबी द्वारा इस तरह से पारित किया गया आदेश राज्य चिकित्सा परिषद पर बाध्यकारी होगा। ऐसे मामले में, राज्य चिकित्सा परिषद तत्काल और इस तरह के आदेश की प्राप्ति की तारीख से अधिक से अधिक पंद्रह दिन के भीतर आवेदक को प्रैक्टिस करने का लाइसेंस प्रदान करेगी।

निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा

12. **पंजीकरण और प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस से इनकार**

i यदि राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा किसी अभ्यर्थी का पंजीकरण और प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस प्रदान करने/प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस के नवीनीकरण के आवेदन को किसी भी आधार पर अस्वीकार कर दिया जाता है, तो संबंधित आवेदक इस तरह के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर राज्य चिकित्सा परिषद के निर्णय के खिलाफ नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड में अपील कर सकता है।

ii ऐसी अपील निम्नलिखित के साथ सचिव, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग को प्रस्तुत की जा सकती है:

क. राज्य चिकित्सा परिषद को प्रस्तुत मूल आवेदन।

ख. आवेदन अस्वीकार किए जाने के संबंध में राज्य चिकित्सा परिषद से प्राप्त आदेश/संचार की प्रति।

ग. अस्वीकृति के आधारों का तर्क देते हुए एक लिखित आवेदन।

घ. सचिव, एनएमसी के पक्ष में देय प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) शुल्क (ईएमआरबी, एनएमसी द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित)।

iii नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड अपील की जांच करेगा और तीस दिनों के भीतर निर्णय लेगा। यदि अपील को नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो वह राज्य चिकित्सा परिषद को आवेदक को पंजीकरण और प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस प्रदान करने/प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण का आदेश पारित कर सकता है और ईएमआरबी द्वारा पारित आदेश राज्य चिकित्सा परिषद पर बाध्यकारी होगा। ऐसे मामले में, राज्य चिकित्सा परिषद तत्काल और इस तरह के आदेश की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर आवेदक को प्रैक्टिस करने के लिए पंजीकरण और लाइसेंस प्रदान करेगा।

xxii. विनियम 13.1.1 के खंड (ii) में उप खंड (ङ) के बाद उप खंड (ङङ) जोड़ा जाएगा।

(ङङ) संबंधित देश की सक्षम चिकित्सा परिषद या लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी एक वैध गुड स्टैंडिंग प्रमाण पत्र।

xxiii. विनियम 13.1.1 में खंड (iii) का परंतुक जोड़ा जाएगा।

परंतु यह कि, जहां किसी भी कारण से स्नातकोत्तर या सुपर-स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम कार्यकाल की अवधि बढ़ाई जाती है, तो विदेशी नागरिक को निर्धारित समय सीमा के भीतर बढ़ी हुई अवधि के लिए अस्थायी पंजीकरण के बढ़ाने या नवीनीकरण के लिए नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड में आवेदन करना होगा और अस्थायी पंजीकरण केवल पाठ्यक्रम पूरा होने तक या नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड द्वारा मंजूर की गई बढ़ी हुई अवधि के समाप्त होने तक वैध रहेगा।

xxiv. विनियम 13.1.2 में, खंड (iii)

(iii) आवेदन की जांच करने पर, यदि उसे इन विनियमों में आवश्यकता के अनुसार सही पाया जाता है, तो नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड विदेशी नागरिक के संबंध में अस्थायी पंजीकरण प्रदान कर सकता है जो अधिकतम 12 महीने की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा जिसके बाद एक वर्ष की शीतलन अवधि होगी और यह कार्यक्रम प्रायोजित करने वाले मेडिकल कॉलेज/संस्थान/अस्पताल तक सीमित होगा।

निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा

आवेदन की जांच करने पर, यदि इसे इन विनियमों में अपेक्षित रूप से सही पाया जाता है, तो नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड विदेशी नागरिक के संबंध में अस्थायी पंजीकरण प्रदान कर सकता है जो पाठ्यक्रम के लिए प्रदान किया जाएगा जिसकी अधिकतम अवधि 24 महीने की होगी, उसके बाद एक वर्ष का शीतलन अवधि (कूलिंग-ऑफ पीरियड) होगा और यह उस मेडिकल कॉलेज/संस्थान/अस्पताल तक ही सीमित रहेगा जो इस कार्यक्रम को प्रायोजित कर रहा है।

डॉ. राघव लंगर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./262/2026-27]

नोट: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में दिनांक 12 मई, 2023 में एनएमसी अधिसूचना सं. सं.आर.15021/04/2022-ईएमआरबी-पंजी. के तहत प्रकाशित किया गया था।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने **"मेडिकल प्रैक्टिशनर का पंजीकरण और चिकित्सा की प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस विनियम, 2023"** में कुछ संशोधन प्रस्तावित करता है। **विनियम 2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13 में संशोधन करने 9क को जोड़ने और 9 को हटाने वाले मसौदा विनियम** को निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से तैयार किया गया है और इसे उन सभी संबंधित पक्षों/हितधारकों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिन पर इसका असर पड़ सकता है और यह सूचना दी जाती है कि इस **मसौदा विनियम (संशोधन)** पर उस तारीख से तीस (30) दिनों की अवधि समाप्त होने पर या उसके बाद, विचार किया जाएगा, जिस तारीख को इन **मसौदा विनियम (संशोधन)** की प्रतियां भारत के राजपत्र में जनता के लिए उपलब्ध कराई गई हैं।

भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 246 दिनांक 7 अप्रैल 2026 (आर-11012/04/2025-पंजी/एनएमसी) में पूर्व प्रकाशित मसौदा "मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का पंजीकरण और चिकित्सा की प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस (संशोधन), विनियम 2026" को वापस ले लिया जाता है।

उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों एवं सुझावों पर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा विचार किया जाएगा।

आपत्तियां एवं सुझाव, यदि कोई हों तो उप सचिव (पंजी-ईएमआरबी), एनएमसी कमरा नंबर 003. गेस्ट हाउस, ग्राउंड फ्लोर, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, पॉकेट 14, सेक्टर-8, द्वारका, फेज-1. नई दिल्ली-77 के पते पर प्रेषित किए जा सकते हैं तथा नीचे दिए गए निर्धारित प्रारूप में ई-मेल द्वारा (regn_regulations_amend_2026@nmc.org.in) भी भेजे जा सकते हैं:

आपत्तियां और सुझाव केवल ऊपर दिए गए ई-मेल आईडी पर ही भेजें तथा दूसरे तरीके से, यानी भौतिक या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आपत्तियां/सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

अधिसूचना का मसौदा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की वेबसाइट https://www.nmc.org.in पर उपलब्ध होगी।

सुझाव/टिप्पणियाँ प्राप्त करने का प्रारूप

क्र.सं.	व्यक्ति/संगठन का नाम एवं पता, संपर्क संख्या, ई-मेल आईडी	मसौदा/ड्राफ्ट अधिसूचना का वह सम्बद्ध भाग, जिस पर टिप्पणियां की जा रही हैं	टिप्पणियां/सुझाव	तर्क	टिप्पणियां

NATIONAL MEDICAL COMMISSION

(Ethics and Medical Registration Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2026

No. R. 11061/05/2026-EMRB-Reg.—In exercise of the powers conferred by clauses (zj), (zk) and (zl) of sub section (2) of section 57; of the National Medical Commission Act (30 of 2019), the National Medical Commission hereby makes the following **Draft Regulations** to amend the "Registration of Medical Practitioners and Licence to Practice Medicine Regulations, 2023" namely -

1. (i) These Regulations may be called the **"Registration of Medical Practitioners and Licence to Practice Medicine (Amendment), Regulations 2026".**

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Registration of Medical Practitioners and Licence to Practice Medicine Regulations, 2023

i. In Regulation 2 clause (a)

(a) - "**Additional Qualifications**" are those qualifications other than the Primary Medical Qualifications duly recognized under Chapter VI of the NMC Act 2019 and obtained by Registered Medical Practitioner as per Post Graduate Medical Regulations.

Shall be substituted as under:

(a) "**Additional Qualifications**" are those qualifications other than the Primary Medical Qualifications duly recognized under Chapter VI of the NMC Act 2019 and obtained by Registered Medical Practitioner as per Post Graduate Medical Education Regulations.

ii. In Regulation 2 (b)

(b) "**Foreign Medical Graduate**" will be an Indian Citizen who has duly qualified to practice modern / allopathic system of medicine, as currently recognized as a Primary Medical Qualification by the National Medical Commission, from an university / institution overseas but does not have primary medical qualification (undergraduate medical degree), from an Indian university or Indian medical college or an Indian institution.

Shall be substituted as under:

(b) "**Foreign Medical Graduate(FMG)**" will be an Indian Citizen/ Overseas Citizen of India (OCI), who has duly qualified to practice modern /allopathic system of medicine but does not have primary medical qualification (undergraduate medical degree), from an Indian university or Indian medical college or an Indian institution.

iii. In Regulation 2 clause (cc) shall be inserted after clause (c)

(cc) National Medical Register (NMR) shall be a National Register of medical practitioners maintained by EMRB as specified in Section 31 of NMC Act, 2019, with a Unique Identification (UID) Number assigned to every medical practitioner registered under State Medical Register (SMR) maintained by the State Medical Councils. The NMR Number shall be valid for the purpose of medical practice across India, in accordance with the provisions of these Regulations.

iv. In Regulation 2, clause (g) shall be inserted after clause (f)

(g) "Person" means an Indian citizen, or an Overseas Citizen of India (OCI), or any foreign national authorized or sponsored by the competent authority in India, who obtains a primary medical qualification in India recognized under the National Medical Commission Act, 2019, and the regulations made there under.

v. In Regulation 3 clause (ii)

(ii) Any person who obtains a foreign medical qualification and qualifies the National Exit Test (NExT) held under section 15 of the Act, and fulfils conditions specified in the Foreign Medical Graduated Regulations, 2021 may also be granted provisional registration for doing internship by the concerned State Medical Council.

Shall be substituted as under:

(ii) Any FMG who obtains a foreign medical qualification and qualifies the Foreign Medical Graduate Examinations (FMGE) or until National Exit Test (NEXT) comes into force held under section 15 of the Act, and fulfils conditions specified in the Foreign Medical Graduate Licentiate Regulations, 2021 may also be granted provisional registration for doing internship by the concerned State Medical Council.

vi. In Regulation 4 clause (ii)

clause (ii) - Any person who obtains a foreign medical qualification and qualifies the National Exit Test held under section 15 of the Act, shall also be entitled for grant of registration in NMR, subject to fulfillment of conditions specified in the Foreign Medical Graduates Regulation, 2021.

Shall be substituted as under:

(ii). Any FMG who obtains a foreign medical qualification and qualifies the Foreign Medical Graduate Examinations (FMGE) or until the National Exit Test (NEXT) held under section 15 of the Act, shall also be entitled for grant of registration in NMR, subject to fulfillment of conditions specified in the Foreign Medical Graduates Licentiate Regulation, 2021.

vii. In Regulation 4 clause (iii)

(iii) Generation of Unique Identification (UID) Number: An UID shall be generated centrally by the Ethics & Medical Registration Board (EMRB), National Medical Commission (NMC) and thereby grant the practitioner, Registration in NMR and Eligibility to practice medicine in India.

Shall be substituted as under:

(iii) Generation of Unique Identification (UID) Number: Once any person/FMG has registered in the concerned State Medical Register; An UID shall be generated centrally by the Ethics & Medical Registration Board (EMRB), National Medical Commission (NMC); thereby granting the practitioner, Registration in NMR and Eligibility to practice medicine anywhere in India.

viii. In Regulation 4 clause (iv)

(iv) A processing fee for generation of UID (as prescribed by EMRB, NMC from time to time shall be payable), in favour of the Secretary, NMC.

Shall be substituted as under:

(iv) The EMRB shall ensure electronic synchronization of the National Register and the State Register in such a manner that any change in one register is automatically reflected in the other register.

ix. In Regulation 5 in clause(ii) sub clause (k) & (l) shall be inserted-

(k) Active/Inactive status of licence to practice medicine

(l) Details of disciplinary action against the RMP, if any.

x. In Regulation 5, after clause (ii), clause iii & clause iv shall be inserted-

(iii) The National Medical Register shall serve as the central repository of the registration particulars of Registered Medical Practitioners and of any disciplinary proceedings, orders of suspension, removal, restoration, or any such order issued by a State Medical Council, the Ethics and Medical Registration Board, or the National Medical Commission.

(iv) The Ethics and Medical Registration Board and the National Medical Commission shall have the power to issue directions, seek information, call for records, and monitor compliance by State Medical Councils for maintaining uniformity, transparency, and effective regulation of medical practitioners throughout India.

(xi) In Regulation 6

6. Grant of licence to practice medicine:

Procedure for making application for licence to practice medicine:

(a) For the purpose of obtaining licence, a person may apply through a web portal of the Ethics & Medical Registration Board containing such details as specified in the electronic format.

(b) The eligible person may opt any State/States to practice medicine and the application so made through the web portal shall be referred to the concerned State/ States Medical Council.

(c) The State Medical Council shall satisfy themselves **and** consider the application for grant of licence to practice medicine in that state after charging appropriate fee within a period of 30 days.

(d) The certificate of licence shall contain a registration number which shall be formed in such a way that a Unique Identification Number shall be suffixed with a Code of the concerned State/Union Territory.

(e) On approval of the application by the State Medical Council, the same shall be reflected in the National Medical Register and alsoin the State Medical Register.

Shall be substituted as:

6. Grant of Registration and licence to Practice Medicine:

Procedure for making application for Registration and licence to practice medicine:

a) For the purpose of obtaining Registration and licence to practice medicine, a person/FMG shall apply to the concerned State Medical Council through Unified Registration portal of the Ethics & Medical Registration Board of the National Medical Commission containing such details as specified in the electronic format.

b) Deleted

c) The concerned State Medical Council shall satisfy themselves and consider the application for grant of Registration and licence to practice medicine after charging appropriate fee within a period of 30 days.

d) Deleted

e) On approval of the application by the State Medical Council, the same shall be reflected in the State Medical Register & the National Medical Register. The Unique Identification (UID) Number of NMR shall be formed in such a way that the Code of the concerned State / Union Territory and assigned SMR Number shall get embedded in the assigned Unique Identification (UID) Number.

f) Upon grant of registration and licence to practice medicine by a SMC and the allotment of a Unique Identification Number (UID) in the National Medical Register by EMRB; the medical practitioner shall be eligible to practice medicine in any State or Union Territory of India without requiring fresh registration & license to practice medicine in any other State or Union Territory.

(xii). In Regulation 7 clause (i)

(i) As and when a Registered Medical practitioner, obtains additional medical qualification recognized under the National Medical Commission Act, 2019 shall apply to the concerned State Medical Council for entering additional medical qualification against his/her name in the State Register/National Register.

Shall be substituted as:

(i) As and when a Registered Medical practitioner, obtains additional medical qualification recognized under the National Medical Commission Act, 2019 shall apply to the concerned State Medical Council where he / she is primarily registered, through the Unified Registration portal of the Ethics & Medical Registration Board, for entering additional medical qualification against his/her name in the State Register.

(xiii). In Regulation 7 clause (vi)

(vi). **Before**, the National Register comes into force the existing system of the registration of the additional qualification shall continue.

Shall be substituted as:

(vi). Till such time, the National Register comes fully into force; the existing system of the registration of the additional qualification shall continue.

(**xiv**). In Regulation 8 clause (i)

(i) The licence to practice medicine issued to a registered medical practitioner shall be valid for a period of **Five years** after which the medical practitioner shall have to renew the licencing by making an application to the State Medical Council as per the procedure specified under clause 6 (ii) of these Regulations.

Shall be substituted as:

(i) The licence to practice medicine issued to a registered medical practitioner shall be valid for a period of Five years after which the medical practitioner shall have to renew the licence by making an application to the concerned State Medical Council as per the procedure specified under clause 6(a) of these Regulations.

(**xv**). In Regulation 8 clause (iii)

(iii) Provided that if no application is received within three month of expiration of the validity of licence, the entry of the name of the medical practitioner in the State Register shall be converted as **inactive** and the person shall not be entitled to practice medicine. The entry of the status – 'inactive' made in the State Register against a medical practitioner, shall automatically reflected in the National Register.

Shall be substituted as:

(iii) Provided that if no application is received within three month of expiration of the validity of licence, the entry of the name of the medical practitioner in the State Register shall be converted as **inactive** and the person shall not be

entitled to practice medicine. The entry of the status – 'inactive' made in the State Register against a medical practitioner, shall automatically be reflected in the National Register.

(xvi). Regulation 9 shall be deleted and 9A shall be inserted:

9A. **Jurisdiction in cases of alleged professional misconduct or medical negligence**

(1) Notwithstanding anything contained in these Regulations, where an allegation of professional misconduct, unethical conduct, or medical negligence is made against a Registered Medical Practitioner, the State Medical Council within whose territorial jurisdiction, the cause of action has arisen shall have jurisdiction to inquire into and decide the matter. The concerned SMC shall have the right to implement the decision and reflect against the credentials of the RMP in the online register.

(2) The procedure for inquiry, disciplinary proceedings, appeals, and all matters incidental thereto shall be governed by the corresponding Regulations framed under the relevant provisions of the National Medical Commission Act, 2019.

(**xvii**). In Regulation 10 clause (i)

(i) If the name of a registered medical practitioner is removed from the State Register under the provisions of the Regulations framed by the National Medical Commission, permanently or temporarily, the State Medical Council, shall make an entry against the name of the concerned medical practitioner for the effect in the State Register.

Shall be substituted as:

(i) If the name of a registered medical practitioner is removed from the State Register under the provisions of the Regulations framed by the National Medical Commission, permanently or temporarily, the State Medical Council of primary registration, shall make an entry against the name of the concerned medical practitioner for the effect in the State Register.

(**xviii**). In Regulation 10 clause (ii)

(ii) On restoration of name of any registered medical practitioner in the State register under the provision of the Regulations framed by the National Medical Commission, the State Medical Council, shall make an entry against the name of the concerned medical practitioner for that effect in the State Register.

Shall be substituted as under:

(ii) On restoration of name of any registered medical practitioner in the State register under the provision of the Regulations framed by the National Medical Commission, the State Medical Council of primary registration, shall make an entry against the name of the concerned medical practitioner for that effect in the State Register.

(**xix**) In Regulation 10 after clause (iii), clause (iv) shall be inserted

(iv) Where an action after due enquiry is recommended by the SMC other than State Medical Council of primary registration; in which professional misconduct, unethical conduct, or medical negligence has taken place; the same shall get reflected in the National Register with corresponding automatic updation in the SMR of SMC of Primary Registration.

(**xx**). Regulation 11

Transitory Provisions

All the existing medical practitioner enrolled in the Indian Medical Register or the State Medical Register, not having the registration number as per these Regulation shall update in the web portal of the Ethics & Medical Registration Board within a period of three months of publishing of these Regulation and obtain the Registration Number as a onetime measure and the licence so generated shall be valid for period of five years from the date of issuance. For the purpose of updating of licence of such medical practitioner, no fee shall be charged by EMRB, NMC.

Shall be substituted as:

Transitory Provisions

All the existing medical practitioner enrolled in the Indian Medical Register or the State Medical Register, not having the Unique Identification (UID)-number of NMR as per these Regulation shall update in the web portal of the

Ethics & Medical Registration Board within stipulated period, as decided by the Ethics & Medical Registration Board and obtain the Unique Identification (UID) Number as a onetime measure. For the purpose of updating of Unique Identification (UID) number of such medical practitioner, no fee shall be charged by EMRB, NMC.

(**xxi**). In Regulation 12 clause (i),(ii) & (iii)

12. Denial of Licence to Practice

i. If the application of a candidate for grant of licence to practice / for renewal is rejected by the State Medical Council on any ground, the applicant concerned may file an appeal to the Ethics and Medical Registration Board against the decision of the State medical Council, within thirty days of receipt of such decision.

ii. Such an appeal may be submitted to the Secretary, National Medical Commission along with the following:

a. Original application submitted to the State Medical Council.

b. Copy if order/communication received from the State Medical Council for rejection of the appeal.

c. A written application contending the grounds of rejection.

d. A processing fee (as prescribed by EMRB, NMC from time to time), in favour of the Secretary, NMC.

iii. The Ethics and Medical Registration Board shall examine the appeal and take a decision within thirty days. If the appeal is allowed by the Ethics and Medical Registration Board, it may pass an order for the State Medical Council to grant licence to practice to the applicant and the order so passed by the EMRB shall by binding on the State Medical Council. In such case, the State Medical Council **shall** forthwith and not more than fifteen days of receipt of such order, shall grant licence to practice to the applicant.

Shall be substituted as:

12. Denial of Registration & Licence to Practice

i. If the application of a candidate for grant of registration & licence to practice /renewal of license to practice is rejected by the State Medical Council on any ground, the applicant concerned may file an appeal to the Ethics and Medical Registration Board against the decision of the State medical Council, within thirty days of receipt of such decision.

ii. Such an appeal may be submitted to the Secretary, National Medical Commission along with the following:

a. Original application submitted to the State Medical Council.

b. Copy of order/communication received from the State Medical Council for rejection of the application.

c. A written application contending the grounds of rejection.

d. A processing fee (as prescribed by EMRB, NMC from time to time), in favour of the Secretary, NMC.

iii. The Ethics and Medical Registration Board shall examine the appeal and take a decision within thirty days. If the appeal is allowed by the Ethics and Medical Registration Board, it may pass an order for the State Medical Council to grant registration &licence to practice/renewal of licence to practice to the applicant and the order so passed by the EMRB shall by binding on the State Medical Council. In such case, the State Medical Council **shall** forthwith and not more than fifteen days of receipt of such order, shall grant registration & licence to practice to the applicant.

(**xxii**). In Regulation 13.1.1 clause (ii), sub clause (ee) shall be inserted after sub clause (e)
(ee) A valid Good Standing Certificate issued by the competent Medical Council or licensing authority of the concerned country.
(**xxiii**). In Regulation 13.1.1 proviso to clause (iii) shall be inserted

Provided that, where the duration of the postgraduate or super-specialty course tenure is extended for any reason, the foreign citizen shall apply to the Ethics and Medical Registration Board for **extension or renewal of the Temporary Registration** for the extended period with stipulated time frame and the Temporary Registration shall remain valid only up to the completion of the course or until the expiry of the extended period as approved by the Ethics and Medical Registration Board.

(xxiv). In Regulation 13.1.2, clause (iii)

(iii) On Scrutiny of the application, if the same is found to be correct as required in these regulations, the Ethics and Medical Registration Board may grant a temporary registration in respect of the foreign national which shall be provided for a maximum period of 12 months followed by a cooling off period of one year and shall be limited to the medical college/institution/hospital sponsoring the programme.

Shall be substituted as

(iii) On Scrutiny of the application, if the same is found to be correct as required in these regulations, the Ethics and Medical Registration Board may grant a temporary registration in respect of the foreign national which shall be provided for the duration of the course subject to maximum period of 24 Months followed by a cooling off period of **one year** and shall be limited to the medical college/institution/hospital sponsoring the programme.

Dr. RAGHAV LANGER, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./262/2026-27]

Note: The principal regulation was published in the Gazette of India, Extraordinary, PART III- Section 4, dated 12 May, 2023 vide NMC Notification No. R.15021/04/2022-EMRB-Reg.

The National Medical Commission proposes certain amendment to **"Registration of Medical Practitioners and Licence to Practice Medicine Regulations, 2023". The draft regulation amending the regulation in 2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13 inserted 9A and deleted 9**, have been prepared and approved by the competent authority following due procedure and is hereby published for information of all stakeholders likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said **draft Regulation (amendment)** shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty (30) days from the date on which the copies of the Gazette of India containing these **draft Regulation (amendment)** are made available to public.

The Draft "Registration of Medical Practitioners and Licence to Practice Medicine (Amendment), Regulations 2026" pre published in Gazette of India vide notification no. 246 dated 7th April 2026 (R-11012/04/2025-Regn/NMC) stands withdrawn.

Objections and suggestions which may be received from any person with in the period specified above will be considered by National Medical Commission.

Objections and suggestions if any, may be addressed to the Deputy Secretary (Reg-EMRB), NMC, Room No.. 003, Guest House, Ground Floor, National Medical Commission, Pocket-14, Sector-8, Dwarka, Phase-1, New Delhi-77 and sent by email at (regn_regulations_amend_2026@nmc.org.in**)** in the prescribed format attached below:

The objections and suggestions be sent **only** on the above e-mail ID and the objections/suggestions received in any other means i.e physical or through other modes will not be entertained.

The draft notification will be available on National Medical Commission's website: https://www.nmc.org.in

Format for seeking suggestions/comments

Sl. No.	Name & Address of the Person/Organization contact number, email ID	Relevant section in the draft Notification on which comments are being provided	Comments/ Suggestions	Rationale	Remarks

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA